कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं0 56 /2016–17

श्रीमती भागीरथी देवी श्रीवास्तव,
पति सुरेश प्र0 श्रीवास्तव,
ग्राम– असनाबाद, झु0 ति0,
जिला–कोडरमा।

23/12/16

आवेदिका श्रीमती भागीरथी देवी श्रीवास्तव, पति सुरेश प्र0 श्रीवास्तव, ग्राम– झलपो, झु0 ति0, जिला–कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा झलपो, थाना नं0 01, खाता नं0 7, 15, 21 प्लॉट नं0 11, 12, 688/705, कुल रकवा 0.21 ए0 भूमि की सरकारी रसीद भागीरथी देवी श्रीवास्तव पति सुरेश प्र0 श्रीवास्तव के नाम से निर्गत होते आ रहा था। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 16/01/17 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी, 23/12/16
कोडरमा ।

अभिलेख उपस्थापित।

16/01/17
17/04/17

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। मौजा झलपो, थाना नं0 01, खाता नं0 7, 15, 21 प्लॉट नं0 11, 12, 688/705, कुल रकवा 0.21 ए0 भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। के पेज नं0 110/1 पर भागीरथी देवी श्रीवास्तव, पति सुरेश प्र0 श्रीवास्तव के नाम से दर्ज था। उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी ।। वर्षों पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आवेदिका द्वारा मौजा झलपो, थाना नं0 01, खाता नं0 7, 15 प्लॉट नं0 11, 12, कुल रकवा 0.11 ए0 बिक्री के पश्चात बचा भूमि का मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदित भूमि रैयती खाते की है। स्थल जांच के क्रम में श्री सुशील कुमार जैन, शैलेन्द्र सिंह, रतन कुमार, सतेन्द्र कुमार एवं सुरज कुमार बर्णवाल वगैरह से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर जमाबन्दीधारक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नहीं कराया गया है।

आवेदिका के द्वारा लगान रसीद 695825, दि0 22.07.84, 728043 दि0 09.07.85, 427004 दि0 26.07.87, 253878 दि0 17.06.88 एवं 150472 दि0 07.01.91, 108060 दि0 02.08.2000, 3819948 दि0 27.07.06 वगैरह की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी।। पर भागीरथी देवी श्रीवास्तव, पति सुरेश प्र0 श्रीवास्तव के नाम से दर्ज था। अंचल नाजिर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लगान रसीद सं0 108060 दि0 02.08.2000, 3819948 दि0 27.07.06 को रसीद भण्डार पंजी से मिलान करने पर भण्डार पंजी में दर्ज पाया गया।

Scanned with CamScanner

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा झलपो, थाना नं0 01, खाता नं0 7, प्लॉट नं0 12, रकवा 0.07 ए0 वो खाता नं0 15, प्लॉट नं0 11, रकवा 0.08 ए0, कुल 0.15 ए0 भूमि आवेदिका को विक्रय पत्र से हासिल है। स्थल जांच के क्रम में पाया गया कि आवेदिका द्वारा अपने खरीदगी भूमि में से खाता नं0 15, प्लॉट नं0 प्लॉट नं0 11, रकवा 3.99 डी0 भूमि की बिक्री सरदार हरपाल सिंह वगैरह के मार्फत बिक्री कर दिया गया है। शेष बचे दोनों प्लॉटों में रकवा 0.11 ए0 भूमि पर आवेदिका का मकान बना है। आवेदिका द्वारा उक्त भूमि की सरकारी लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त भूमि पर आवेदिका का दखल कब्जा है। स्थल पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई आपति नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा झलपो, थाना नं0 01, खाता नं0 7, 15 प्लॉट नं0 11, 12, कुल रकवा 0.11 ए0 पर आवेदक का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू–भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा झलपो, थाना नं0 01, खाता नं0 7, 15 प्लॉट नं0 11, 12, कुल रकवा 0.11 ए0 भूमि की जमाबन्दी जमाबंदीधारक भागीरथी देवी श्रीवास्तव, पति सुरेश प्र0 श्रीवास्तव के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

Scanned with CamScanner